न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– बन्शी धर योगी, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर   /2023 राजस्व वाद

बी. नवीन पुत्र श्री के. बाबू लाल जैन जाति जैन आयु वयस्क निवासी– शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज0)

––– वादी

बनाम

1. दलपत सिंह पुत्र श्री धूकल बडवा आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

–– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु.

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार जैन –अधिवक्ता प्रार्थी/वादी
2. एकपक्षीय– ––प्रतिवादी संख्या 01
3. पेरोकार सरकार –अधिवक्ता–प्रतिवादी संख्या 02

:: निर्णय :: दिनांक– 28.08.2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व धारा 183 आर.टि.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद बेमाली पटवार हल्का बेमाली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 21/1 रकबा 0.5438 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3917/1 रकबा 1.0370 हैक्टयर भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड मे वादी के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज चली आ रही है। वादी वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजीयात पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा वादी ने उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड़ अधिकारी महोदय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 117/2020 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक 11 ग्यारह जनवरी 2021 दो हजार इक्कीस को हुआ, जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 01 एक को होने पर माह फरवरी 2023 दो हजार तैबीस मे प्रतिवादी संख्या 01 एक द्वारा आराजी नम्बर 3917/1 की पश्चिमी कोने की तरफ 0.0200 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 21/1 की उत्तरी पश्चिमी कोने की तरफ उत्तरी मे पर रकबा 0.0316 हेक्टयर पर कब्जा कर लिया, जिससे दिनांक 16 सौलह मई 2023 दो हजार तैबीस को उक्त आराजी पत्थरगढी गिरदावर व पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर की गयी, जिसमे वादी की आराजी नम्बर 3917/1 की पश्चिमी कोने की तरफ 0.0200 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 21/1 की उत्तरी पश्चिमी कोने की तरफ उत्तरी मे पर रकबा 0.0316 हेक्टयर पर अवैध कब्जा पाया गया। वादी की आराजीयात से प्रतिवादी संख्या 01 एक का कोई हक अधिकार नही है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 एक को कई बार वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित वादी की आराजी नम्बर 3917/1 की पश्चिमी कोने की तरफ 0.0200 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 21/1 की उत्तरी पश्चिमी कोने की तरफ उत्तरी मे पर रकबा 0.0316 हेक्टयर भूमि पर किये गये

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

कब्जे को छोडने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी सख्या 01 एक ने कोई ध्यान नही दिया व अन्तिम बार वादी ने दिनांक 25 पच्चीस जुलाई 2023 दो हजार तैबीस को उनके द्वारा भूमि पर किये गये कब्जे को छोडकर, उक्त भूमि का कब्जा वादी को सिपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 एक साफ तौर इंकार कर दिया। इस कारण वादपत्र पेश किया गया व अन्त मे प्रार्थना दर्ज करते हुए सरहद बेमाली पटवार हल्का बेमाली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 3917/1 की पश्चिमी कोने की तरफ 0.0200 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 21/1 की उत्तरी पश्चिमी कोने की तरफ उत्तरी मे पर रकबा 0.0316 हेक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 एक द्वारा किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादी को सिपुर्द कराया जाने का निवेदन किया गया।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी किया गया , लेकिन बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र पेश किया गया व जमाबंदी की नकल व मौका पर्चा रिपोर्ट प्रदर्शित करवाये गये।

वादी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढ़ी आदेश पर तैयार किये गये पर्चा मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मौका रिपोर्ट मे भी वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 का अवैध कब्जा पाया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादी का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी पर्चा मोका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 एक ने सरहद बेमाली पटवार हल्का बेमाली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 3917/1 की पश्चिमी कोने की तरफ 0.0200 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 21/1 की उत्तरी पश्चिमी कोने की तरफ उत्तरी मे पर रकबा 0.0316 हेक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 एक के किये गये कब्जे पर कर रखे कब्जे को हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराया जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें व इसी अनुसार डिक्री जारी की जावे। आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बन्नीधर योगी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)